न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या – 58/2020 पीठासीन अधिकारी – अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

अनवान

1 रायमल पिता प्रताप चमार उम्र वयस्क निवासी हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.

बनाम ——————————(प्रार्थी)

1 लक्ष्मण पिता घीसा कुम्हार उम्र वयस्क निवासी हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.

2 जगन्नाथ पिता कल्याण बैरवा उम्र वयस्क निवासी हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.

3 रामनाथ पिता हजारी सोराणा उम्र वयस्क निवासी हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.

4 चन्द्रा पिता कल्याण सोराणा उम्र वयस्क निवासी हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.

5 मु.छोटी पुत्री घीसा चमार उम्र वयस्क निवासी हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.

6 ताराचन्द पिता घीसा चमार उम्र वयस्क निवासी हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.

7 प्रभुलाल पिता नारायण ढोली उम्र वयस्क निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज. –डिलीट

8 महावीर पिता घीसा चमार उम्र वयस्क निवासी हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.

9 मु. रामघणी पुत्री घीसा चमार उम्र वयस्क निवासी हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.

10 मु. शान्ति पुत्री घीसा चमार उम्र वयस्क निवासी हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.

11 सांवरा पिता घीसा चमार उम्र वयस्क निवासी हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.

12 मु. हीरी देवी पत्नि स्व. घीसा चमार उम्र वयस्क निवासी हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.

————————(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

प्रार्थी अधिवक्ता– श्री विजय पाराशर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय

दिनांक – 12.03.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 14.08.2020 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम हुकमपुरा पटवार मण्डल हुकमपुरा भू.अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 118 के **आ.न. 1814, 1815 किता 2 रकबा 1.61 हैक्टयर भूमि** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 17.08.2020 [illegible] किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 25.02.2021 पर [illegible] क्रम [illegible] को छोड़कर शेष विपक्षीगणो को जारी नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हे श[illegible] पत्रावली किये गये [illegible] सूचना के बावजूद नियत पैशी पर अनुपस्थित रहने से विरूद्ध विपक्षीगण एकत[illegible] [illegible] किये गये। विपक्षी क्र[illegible] नोटिस लौटकर अदम तामील प्राप्त, प्रोसेस दुबारा प्रस्तुति बाबत कहे जाने [illegible] अधिवक्ता प्रार्थी ने विपक्षी क्र[illegible] विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर इसका अंकन कर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी का अनुरोध स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी क्रम 07 का नाम डिलीट किये जाने की आज्ञा पारित की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2021.03.17 16:14:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोंण से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम हुकमपुरा पटवार मण्डल हुकमपुरा भू.अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 118 के **आ.न. 1814, 1815 किता 2 रकबा 1.61 हैक्टयर** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक धनोप को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकंला, जिला भीलवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2021.03.17 15:14:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner